स0स0–1/विविध–67/2016– 406 (7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक–31/01/2025

विषयः– **"विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भोजपुर (आरा) (बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज सहित) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल रु0 543,99,00,000/– (रुपये पाँच सौ तैतालिस करोड़ निन्यानवे लाख) मात्र की लागत पर की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार के "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-XII" के तहत इस परियोजना हेतु कुल रु0 96,96,00,000/–(रुपये छियानवे करोड़ छियानवे लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश स0–277(1), दिनांक–16 03 2021 द्वारा "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, भोजपुर (आरा) (बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज सहित) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2020–21 मे कुल रु0 543,99,00,000/– (रुपये पॉच सौ तैतालिस करोड निन्यानवे लाख) मात्र के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

2– उक्त योजनान्तर्गत भवन निर्माण हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्राक F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)- Bihar, दिनांक–22.11 2024, एवं F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Part-XII-SACE-24, दिनांक–22.11.2024 तथा वित्त विभाग के पत्राक–701/वि0 दिनांक–22.11.2024 के द्वारा सूद रहित पचास वर्षीय ऋण मद में स्वास्थ्य विभाग को भुगतान हेतु स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना हेतु रू० 96.96 करोड सूद रहित पचास वर्षीय ऋण मद से दिया जाना है।

3– इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0 स0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 में)	व्ययादेश सं0/आवंटनादेश स0 एवं दिनांक
1	2021–22	1,15,50,00,000	सं0–411(1), दिनाक–16 06 2021
2	2023–24	20,00,00,000	सं0–536(7), दिनाक–27.02 2024
3	2024–25	2,50,00,000	स0–49(7), दिनांक–27 05 2024
4	2024–25	80,00,00,000	स0–136(7), दिनांक–21 08.2024
कुल योग–		**2,18,00,00,000/-**	

4– "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राज्य मे 05 (पॉच) नये मुख्यमंत्री निश्चय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु विभागीय राज्यादेश सं0–567(1) दिनांक–02.05.2016 द्वारा प्रति चिकित्सा महाविद्यालय रु0 400.00 करोड (रुपये चार सौ करोड) की अनुमानित लागत दर से कुल 05 (पाँच) चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु रु0 2000.00 करोड (रुपये दो हजार करोड) मात्र की अनुमानित लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

5– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0–277(1), दिनांक–16 03.2021 में निहित्त शर्तो के आधार पर किया जायेगा।

6— अतएव "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, भोजपुर (आरा) (बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज सहित) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020—21 में कुल रु0 543,99,00,000/— (रुपये पॉच सौ तैतालिस करोड निन्यानवे लाख) मात्र की लागत पर की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024—25 में भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-XII" के तहत इस परियोजना हेतु कुल रु0 96,96,00,000/—(रुपये छियानवे करोड छियानवे लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7— इस राशि के व्यय का वहन माग सख्या—20, मुख्य शीर्ष—4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसधान—050—भूमि— 0103—नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल सस्थान हेतु, विपत्र कोड—20—4210030500103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53—मुख्य निर्माण कार्य के 0103—53—01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में **द्वितीय अनुपूरक आगणन** से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

8— इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9— वित्त विभागीय पत्र संख्या—632वि०, दिनांक—04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या—10792/वि०, दिनांक—06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25" के लिए पूंजीगत परियोजनाओं से सबधित चालू योजनाओ के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते मे हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट सं0—PBBPLA007 विपत्र कोड—00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID---------- में जमा करेगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दिशा—निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

10— वित्त विभागीय पत्राक—432/वि०, दिनांक—29.03.2023 एवं पत्रांक—701/वि०, दिनांक—22.11.2024 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण—पत्र GFR 12B मे विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र मे तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

11— यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561/वि0(2), दिनांक—17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक—06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक—08.04.08, 3758/वि0, दिनांक—31.05.2017 एव 12888/वि०, दिनांक—03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

12— इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13— प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

14— प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0—1/विविध—67/2016 के पृष्ठ—119/टि0 पर प्राप्त है।

15— यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन

31.1.25

(शंभू शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–1/विविध–67/2016–406(7) /स्वा0, पटना, दिनांक–31/01/2025

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, भोजपुर (आरा)/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 7/लेखा शाखा (दो प्रतियों मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31.1.25

सरकार ~~के~~ अपर सचिव